<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कासगंज।</u>

दाण्डिक वाद संख्या–350/2023

कम्प्यूटर नंबर–419/2022

देवेन्द्र सिंह बनाम मारूति बैन संख्या यू.पी. 14 क्यू 0274

धारा–279,337,338 आई०पी०सी०

मु०अ०सं०–494/2018

थाना–कासगंज, **जनपद**–कासगंज।

<u>दिनांकः– 10.07.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली आज वास्ते निस्तारण अंतिम आख्या नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पत्रावली में वर्णित घटना के संबंध में एफ०आई०आर० संख्या 494/2018, अंतर्गत धारा 279,337,338 आई०पी०सी० दिनांक 20.06.2018 को पंजीकृत की गयी, जिसमें संबंधित विवेचक द्वारा तमामी विवेचना उपरान्त एक अंतिम आख्या संख्या 45/2020 दिनांकित 18.02.2020 न्यायालय के समक्ष इस आशय की प्रेषित की गयी कि तमामी विचेना व साक्ष्य संकलन से मुकदमा वादी अपने लड़के का इलाज करना बताया तथा उक्त गाटी के संबंध में पूछने पर बताया कि गाडी नंबर सही है या गलत मुझे जानकारी नहीं है। मैने तो लोगों के बताने पर उक्त गाटी के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था। मैं पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट हूं। मैं अपने मुकदमा में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। अतः अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत करने की कृपा करें।

न्यायालय द्वारा सूचनादाता/परिवादी को नोटिस जारी किये गये, जो कि संबंधित थाने की पुलिस द्वारा तामीला किस्म दोयम अमल में लायी गयी, जिसके उपरान्त भी परिवादी न्यायालय उपस्थित नहीं आ रही है, जिससे प्रतीत होता है कि वह अंतिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं देना चाहते है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में संबंधित विवेचक द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विविध फौजदारी वाद संख्या 350/2023, मु०अ०सं० 494/2018, अंतर्गत धारा–279,337,338 आई०पी०सी०, थाना व जनपद कासगंज में संबंधित विवेचक द्वारा प्रस्तुत की गयी अंतिम आख्या संख्या 45/2020 दिनांकित 18.02.2020 स्वीकार करते हुए उक्त वाद की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 10.07.2024

(खान जीशान मसूद)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कासगंज।
(J.O. Code No. UP2480)